**प्रेस नोट** **02/01/2023**

**शातिर अपराधी कमलेश उर्फ चुन्नू राय द्वारा अपराधिक कियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये धन से कय की गयी लगभग 04 करोड़, 74 लाख, 38 हजार 983 रुपये कीमती चल/अचल सम्पत्तियों (भू–खण्ड, वाहन व ईंट भठ्ठा) को 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक कियकलाप निवा0 अधिनियम 1986 के अर्न्तगत कुर्क किया गया–**

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 02.01.2023 को राजस्व टीम व क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में अभियुक्त कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय पुत्र प्रदुम्न राय निवासी अहिरौली हथिनी थाना सरायलखंसी जो एक अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है तथा अपने गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा अपने गैंग के संरक्षण में स्वंय तथा गैंग के सदस्यों द्वारा डराकर, धमकाकर व हत्या जैसे अपराध कारित कर गलत तरीके के व्यवसाय से अपराधिक बल का लाभ पाते हुये अकूत धन इकठ्ठा किया गया है। अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये धन से अपने नाम मौजा भीटी में स्थित आ0नं0 1022 रकबा 85, 86 व 97.2 वर्गमीटर, आ0सं0 291मि0 रकबा 226.8 वर्गमीटर, वाहन सं0 यूपी54डब्लू0100 स्कार्पियो, वाहन सं0 यूपी54क्यू2052 बजाज डिस्कवर, अपनी पत्नी सुमन राय के नाम मौजा हथिनी स्थित गाटा सं0 53 रकबा 356.4 वर्गमीटर, मौजा भीटी आ0सं0 1022 रकबा 113.4 वर्गमीटर व उस पर बने मकान को कय किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय के नाम से ग्राम हथिनी में राय ईंट उद्योग के नाम से ईंट भठ्ठा है, वर्तमान में भठ्ठे के अन्दर व बाहर लगभग 05 लाख 50 हजार ईंट मौजूद है। कुल सातों अराजियों व उस पर बनें भवन, वाहनों तथा ईंटों का बाजारु मूल्य लगभग 04 करोड़, 72 लाख, 78 हजार 983 रुपये है, अपने पुत्र विनय राय उर्फ राजा राय के नाम से वाहन सं0 यूपी54एएल4930 स्प्लेंडर प्लस अनुमानित कीमत 50 हजार व अपने पुत्र दिवाकर राय उर्फ राजू राय के नाम से वाहन सं0 यूपी54जेड1451 रायल इनफील्ड अनुमानित कीमत 60 हजार व वाहन सं0 यूपी54एआर8491 स्वराज ट्रैक्टर अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये है। इस तरह से कुल 04 करोड़, 74 लाख, 38 हजार 983 रुपये चल/अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया गया। उक्त कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय, उसकी पत्नी सुमन राय व उसके दो पुत्रों विनय राय उर्फ राजा राय, दिवाकर उर्फ राजू राय के पास आय का कोई ऐसा वैध स्रोत नही था जिससे इतनी कीमती चल/अचल सम्पत्ति खरीद सके।

***हत्या या अन्य संगठित अपराध करने वालों की संपत्ति के विरुद्ध जब्तीकरण की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाएगी।***